

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/2015

जयपुर, दिनांक - 24/7/2015

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किए जाते हैं :-

क्रं सं.	वरियता संख्या	नाम व पदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	81/2002	श्री गणेश नारायण शर्मा क्लर्क ग्रेड-प्रथम सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	5/156, गांधीनगर	31.12.2025
2	62/2004	श्री सुरेश कुमार शर्मा क्लर्क ग्रेड-1 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने, जयपुर।	5/64, गांधीनगर	30.4.2031
3	6/05	श्री दुर्गेश दीक्षित कनिष्ठ लिपिक राज. सिन्धी बा. उ.मा. विद्यालय, जवाहर नगर, जयपुर हाल शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	5/67, गांधीनगर	31.10.2042
4	64/06	श्री विकास दत्त आर्य कनिष्ठ लिपिक कार्यालय मुख्य नगर नियोजन, जयपुर	5/6, गांधीनगर (5/113, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	30.9.2043
5	41/2008	श्री रमेश चन्द कनिष्ठ लिपिक निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर	जीए/5/टी-1/18, विद्याधर नगर (जीए/5/टी-1/47, विद्याधर नगर के स्थान पर परिवर्तन)	31.1.2038
6	72/2011	श्री पवन कुमार कनिष्ठ लिपिक सहकारिता विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/82, गांधीनगर	31.8.2043
7	88/2011	श्री राजवीर सिंह चारण कनिष्ठ लिपिक चिकित्सा शिक्षा(ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/100, गांधीनगर	31.1.2052
8	89/2011	श्रीमती अनिता टांक कनिष्ठ लिपिक वित्त (व्यय-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5-डी-18, गांधीनगर बहुमंजिला	31.8.2032
9	120/2011	श्रीमती सुजीता यादव कनिष्ठ लिपिक शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	जीए/5/टी-1/66, विद्याधर नगर	30.6.2035
10	52/2012	श्रीमती मनीषा खाती कनिष्ठ लिपिक मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	जीए/5/टी-1/152 विद्याधर नगर	30.6.2040

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।

3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारी/कर्मचारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. क्रम संख्या 8 पर अंकित आवंटी से 'कॉमन सुविधा शुल्क' के पेटे राशि रुपये 75/- (अक्षरे पिचेत्तर रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निर्मला परचवानी)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, कार्यालय मुख्य नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
7. निदेशक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
12. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
13. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग—खण्ड-तृतीय/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग /जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 विद्याधर नगर/गांधीनगर, जयपुर।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
16. क्रम संख्या 4 व 5 पर अंकित आवंटी को भेजकर लेख है कि कृपया नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
17. सम्बन्धित कर्मचारीगण
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
19. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव